कुलविंदर सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

अगस्त 6, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्केडेय काटजू, जे.जे.]

दण्ड संहिता, 1860; धारा 302 और 366

हत्या: अभियुक्त ने कथित तौर पर बलात्संग करने का प्रयत्न किया और फिर शिकायतकर्ता की बहन का दम घोंटकर हत्या कर दी और उसकी दादी पर भी गंडासी से प्रहार किया - दोनों घायलों ने चोटों के परिणामस्वरूप दम तोड़ दिया - विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या कारित करने का दोषी पाया और उसे मृत्यु दंड सुनाया गया। उच्च न्यायालय ने धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धी को यथावत रखते हुए मृत्यु दंड के आदेश को अपास्त कर दिया और दंड की मात्रा पर पुनः विचार करने के लिये मामले को विचारण न्यायालय को प्रेषित कर दिया। अपील में निर्धारित किया: शिकायकर्ता पीडब्ल्यू 6 की मौखिक साक्ष्य कि अभियुक्त ने उसकी दादी की गर्दन पर गंडासी से वार किया और उसकी बहन चोटिल अवस्था में कमरे के फर्श पर गिरी हुयी थी, विश्वसनीय है। अगर यह भी माना जाये कि एक

से अधिक लोगों ने मृतकों पर हमला किया, अभियुक्त निश्चित रूप से उनमें से एक था। तथ्यों से, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी पहले शिकायतकर्ता की बहन के साथ बलात्संग/छेड़छाड़ करना चाहता था और उसके द्वारा प्रतिरोध करने पर उसने उसकी हत्या कर दी - बाद में, जब पीड़िता की दादी आयी, तो आरोपी ने उसे भी मार डाला ताकि कोई गवाह न रहे। अपराध में प्रयुक्त हथियार, लॉकिठ और अभियुक्त की निशादेही से बरामद हुये कपड़े और अंगुल चिन्ह उसके अपराध की ओर इशारा करते हैं। अतः धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धी को यथावत रखा - हालांकि सजा को कम कर आजीवन कारावास कर दिया गया क्योंकि किया गया अपराध दुर्लभतम से भी दुर्लभ मामलों की श्रेणी में नहीं आता है।

मैक्सिमसः

मैक्सिम 'फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनीबस' - की प्रयोज्यता - माना गया - भारत में आपराधिक प्रकरणों पर लागू नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब पीडब्ल्यू 6 अपने मवेशियों को खिलाने के लिये अपने घर से अपनी हवेली की ओर जा

रहा था, तो उसने हवेली के चारे रखने वाले कमरे में से अपनी दादी की 'बचाओ-बचाओ' की दर्द भरी चीखें सुनीं। उसने आरोपी को अपनी दादी की गर्दन पर गंडासी से हमला करते हुए देखा। उसे देखकर आरोपी गंडासी लेकर मौके से भाग गया। कमरे में उसने, उसकी दर्द से छटपटाते हुई बहन को भी चोटिल अवस्था में पड़े हुए देखा। दोनों घायलों ने घटना के बारे में यह बताया कि आरोपी ने कमरे में उसकी बहन के साथ बलात्संग करने के लिये प्रवेश किया और उसके द्वारा प्रतिरोध करने पर उसकी चुन्नी, उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेटी और उसका गला घोंट दिया। यह कथन करने के थोड़ी ही देर बाद दोनों घायलों ने चोटों के परिणामस्वरूप दम तोड़ दिया। शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मौके पर शिकायतकर्ता (पीडब्ल्यू 6) की उपस्थिति संदेह से परे स्थापित थी और यह कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित हुआ तथा उसे हत्या कारित करने का दोषी माना। दण्ड की मात्रा पर, न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरोपी के आचरण में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया है जो सुव्यवस्थित समाज के लिये खतरा है और उसने अपनी बर्बरता से

अपने जीवन के अधिकार को खो दिया है और तद्नुसार उसे मृत्यु दण्ड दिया गया। न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अंतर्गत मामले को उच्च न्यायालय को निर्देशित किया। उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धी को यथावत रखा, परंतु मृत्यु की सजा को अपास्त कर दिया और दण्ड की मात्रा पर पुनर्विचार करने के लिये मामला विचारण न्यायालय को भेज दिया। अतः वर्तमान अपील की गयी।

अभियुक्त- अपीलार्थी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता एक मात्र गवाह है और उसे एक सच्चा गवाह नहीं माना जा सकता है; यह कि एफ.आई.आर. में शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों मृतक ने उसे मृत्युकालिक कथन दिये थे, परंतु साक्ष्य में उसने केवल उसकी बहन द्वारा ऐसा कहा जाना कथित किया है, हालांकि वह उसके शरीर पर आयी व्यापक चोटों के कारण बोलने की स्थिति में नहीं थी; और यह कि शिकायतकर्ता की बहन के शरीर पर 14 चोटें थीं और उसकी दादी के शरीर पर 16 चोटें थीं जो संभवतः एक व्यक्ति द्वारा कारित नहीं की जा सकती थीं, इस प्रकार, मृतकों पर हमला करने वाले एक से अधिक व्यक्ति थे।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 भले ही मृत्युकालिक कथनों पर विश्वास न किया जाये, फिर भी शिकायतकर्ता की मौखिक साक्ष्य इस हद तक विश्वसनीय है कि उसने

अपीलार्थी को, अपनी दादी जो मृतकों में से एक थी, की गर्दन पर गंडासी से हमला करते हुए देखा और उसने दूसरी मृतक, अपनी बहन को कमरे के फर्श पर चोटों के साथ पड़ा हुआ देखा। [पैरा 8][896-बी]

1.2 मैक्सिम 'फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनीबस' (एक में झूठा, सभी में झूठा) भारत में आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता है। एक गवाह आंशिक रूप से सच्चा एवं आंशिक रूप से झूठा हो सकता है। ऐसे में भले ही शिकायतकर्ता की साक्ष्य का वह हिस्सा, जिसमें उसने उसकी दादी और बहन द्वारा उसके सामने मृत्युकालिक कथन कर आरोपी को संलिप्त किया जाना बताया है, पर विश्वास न भी करें, तब भी यह न्यायालय उसके यह कथन स्वीकार करने के लिये इच्छुक है, जिसमें उसने कहा था कि उसने अपीलार्थी को पशुशाला के अंदर अपनी दादी पर गंडासी से वार करते हुए देखा था और इसी क्रम में उसने अपनी बहन का शव कमरे में पड़ा देखा था। [पैरा 9][896-सी]

1.3 अगर यह उपधारणा भी करें कि मृतकों पर हमला करने वाले एक से अधिक व्यक्ति थे, अपीलार्थी निश्चित रूप से उनमें से एक था। अतः यह तर्क अपीलार्थी की सहायता नहीं करता है। इसके अतिरिक्त किसी भी गवाह की साक्ष्य और पत्रावली पर मौजूद कोई भी सामग्री से ऐसा कुछ दर्शित नहीं करती है कि पशु शाला में मृतक पर हमला करने वाले एक से अधिक व्यक्ति थे। [पैरा 11][896-ई-एफ]

1.4 ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पहले शिकायतकर्ता की बहन के साथ बलात्संग या छेड़छाड़ करना चाहता था और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब उसकी दादी पशु शाला में आयी, तो अपीलार्थी ने उसे भी मार डाला ताकि कोई गवाह न रहे। [पैरा 12][896-जी]

1.5 अंगुल चिन्ह, लाॅकिट, हथियार और अपीलार्थी की निशादेही से बरामद किये गये कपड़े उसके अपराध की ओर संकेत करते हैं। [पैरा 13][897-ए]

2. भा.दं.सं. धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धी को यथावत रखते हुए सजा को आजीवन कारावास में पुनः स्थापित कर दिया गया है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध आवेश में आकर किया गया था और यह 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। [पैरा 14][897-बी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 116/2006

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.09.2004 से 2003 की आपराधिक अपील संख्या 891 - डी.बी 2003

तथा

आपराधिक अपील संख्या 113/2006

के.बी.एस. सिन्हा, कवालजीत कोचर और कुसुम चैधरी - अपीलार्थी की ओर से

कुलदीप सिंह, आर.के. पाण्डेय, संजय कटियाल, टी.पी. मिश्रा और संजय जैन - प्रत्यर्थी की ओर से

आपराधिक अपील संख्या 116/2006,

श्री मार्केडेय कार्टजू, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

1. यह अपील 2003 की आपराधिक अपील संख्या 891 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 20.09.2004 के विरूद्ध निर्देशित है।

2. पक्षकारान की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 04.08.2002 को दोपहर करीब 02:30 बजे, सरबजीत सिंह(पीडब्ल्यू 6) पुत्र अवतार सिंह निवासी गांव बसीयाला, अपने मवेशियों को खिलाने के लिये अपने घर से हवेली की ओर जा रहा था, तभी उसने हवेली में स्थित चारा कक्ष से अपनी दादी जोगेन्द्र कौर की 'बचाओ-बचाओ' की आवाज सुनी। वह उस तरफ भागा और उसने आरोपी कुलविन्दर सिंह, निवासी सुज्जोन जिसका ननिहाल गांव बसियाला में है, को जोगेन्द्र कौर की गर्दन पर गंडासी से हमला करते हुए देखा। उसे देखकर, कुलविंदर सिंह अपने साथ गंडासी

लेकर मौके से भाग गया। करीब जाने पर, सरबजीत सिंह ने देखा कि उसकी बहन हरदीप कौर भी कमरे में घायल अवस्था में पड़ी हुयी थी और दर्द से कराह रही थी। पूछने पर, हरदीप कौर और जोगेन्द्र कौर दोनों ने कथित तौर पर सरबजीत सिंह को बताया कि कुलविन्दर सिंह, हरदीप कौर के साथ बलात्कार करने के लिये कमरे में घुसा था और उसके प्रतिरोध करने पर, उसने उसकी चुन्नी को उसके गले के चारों तरफ लपेट दिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। कथन करने के तुरंत बाद, दोनों, जोगेन्द्र कौर और हरदीप कौर, जिन्हें बहुत गंभीर चोटें आयी थीं, की मृत्यु हो गयी। अपने पिता अवतार सिंह को मृत शरीरों की रखवाली के लिये मौके पर छोड़ने के बाद, सरबजीत सिंह पुलिस थाने के लिये रवाना हो गये, लेकिन इंस्पेक्टर मनिंदर वेदी के नेतृत्व में एक पुलिस दल के समक्ष आये और शाम करीब 05:30 बजे उन्हें एक बयान दिया, जिससे 06:40 पी.एम. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। पुलिस निरीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और आवश्यक पूछताछ की और 09.08.2002 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिये भेज दिया। अनुसंधान पूर्ण होने पर, आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दो मामलों में आरोप लगाया गया और उसके दोषी नहीं होने के अभिवचन करने पर उसे अन्वीक्षा पर लाया गया।

4. विचारण न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सरबजीत

सिंह(पीडब्ल्यू 6) की उपस्थिति को संदेह से परे स्थापित किया गया था और केवल इस तथ्य का कि उसने मौके पर तैयार किये गये कुछ दस्तावेजों को सत्यापित नहीं किया था, परिणामहीन है। विचारण न्यायालय ने यह भी माना कि- हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सरबजीत सिंह ने दोनों मृतक द्वारा उसके सामने मृत्युकालिक कथन किये जाना बताया था, परंतु अपने कथनों को योग्य बनाते हुए, साक्ष्य के दौरान केवल हरदीप कौर द्वारा ऐसा किये जाने के कथन किये हैं। यह एक विसंगति थी जिसे महत्वहीन होने के कारण नजरअंदाज किया जा सकता था। इसी तरह यह देखा गया कि सिर्फ इसलिये कि सरबजीत सिंह, कोठे में प्रवेश करने के पश्चात् देखे गये प्रहारों की सटीक संख्या के बारे में स्पष्ट नहीं था, यह उस भयावह दृश्य को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित था जो उसने देखा। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि दोनों मृतक शायद उन पर किये गये अत्यंत गंभीर हमले के परिणामस्वरूप गतिहीन हो गये थे, ऐसे में शायद उनके लिये प्रतिरोध करना संभव नहीं होता, विशेषतः जब दोनों मृतक महिलायें थीं, जिसमें से एक युवा लड़की तथा दूसरी एक वृद्ध महिला और अभियुक्त 26 वर्ष का युवा आदमी था। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि डण्डे व गंडासी की बरामदगी क्रमशः प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 2 तथा हत्या में प्रयुक्त कथित हथियारों का अभियुक्त की निशादेही से बरामद होना साबित हुआ है, और 10.08.2002 को

चिकित्सकीय परीक्षण करवाये जाने पर उसके शरीर पर पायी गयी दोनों चोटें पुनः एक पुष्टिकारक साक्ष्य थी। न्यायालय को इस तथ्य से और अधिक पुष्टि मिली कि जो अंगुल चिन्ह उस शीशे से लिये गये थे जहां पर हत्या कारित हुयी थी, वह अभियुक्त के होना पाये गये, अभियुक्त द्वारा बचाव में दिये गये तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अभियुक्त के सगे भाई सुरजीत सिंह (डीडब्ल्यू 2) द्वारा उसके भाई के मिथ्या प्रकरण मंे शामिल होने अथवा अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में शिकायत करने के लिये उच्चाधिकारियों से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तद्नुसार न्यायालय के निर्णय दिनांकित 21.10.2003 से अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित माना। तत्पश्चात् न्यायालय में दण्ड की मात्रा पर विचारण किया और यह निर्धारित किया कि अभियुक्त का आचरण उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाता है जो सुव्यवस्थित समाज के लिये खतरा है और उसने अपनी बर्बरता से अपने जीवन के अधिकार को खो दिया है। तद्नुसार उसे मृत्यु दण्ड की सजा सुनायी गयी। सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 366 के अंतर्गत मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिये उच्च न्यायालय को निर्देश प्रस्तुत किया।

5. उच्च न्यायालय ने भा.दं.सं.302 में अपीलार्थी की दोषसिद्धी को यथावत रखा परंतु मृत्यु दंडादेश को अपास्त करते हुए प्रकरण के सत्र न्यायाधीश को दंड की मात्रा पर पुनः विचार करने हेतु प्रेषित किया। उक्त

निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी इस न्यायालय में विशेष अनुमति से आया है।

6. हमने पत्रावली पर मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट, मौखिक साक्ष्य व साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री का अवलोकन किया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि सरबजीत सिंह एक मात्र साक्षी है और उसे एक सच्चा गवाह नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सरबजीत सिंह ने दोनों मृतक जोगिन्दर कौर और हरदीप कौर द्वारा उसे मृत्युकालिक कथन दिये जाना बताया है परंतु साक्ष्य में उसने केवल हरदीप सिंह द्वारा ऐसा किया जाना कथित किया है। इसी क्रम में उसने यह भी तर्क दिया कि हरदीप कौर, उसके शरीर पर आयी व्यापक चोटों के परिणामस्वरूप बोलने की स्थिति में नहीं थी।

8. हमारा यह मत है कि यद्यपि मृत्युकालिक कथनों पर विश्वास ना भी किया जाये तो भी सरबजीत सिंह की मौखिक साक्ष्य इस हद तक विश्श्वास्य है कि उसने अपीलकर्ता को जोगेन्द्र कौर की गर्दन पर गंडासी से हमला करते हुए देखा और हरदीप कौर को चोटों के साथ कमरे के फर्श पर पड़े हुए देखा।

9. यह कहा जा सकता है कि मैक्सिम 'फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनीबस' (एक में झूठा, सभी में झूठा) भारत के आपराधिक मामलों में लागू नहीं होती है। एक गवाह आंशिक रूप से सच्चा और आंशिक रूप

से झूठा भी हो सकता है। अतः भले ही हम सरबजीत सिंह के द्वारा साक्ष्य में कथित इस भाग पर अविश्वास कर भी लें कि जोगेन्द्र कौर और हरदीप कौर ने अभियुक्त को संलिप्त करते हुए मृत्यु कालिक कथन उस से किये थे, तब भी हम उसकी यह अभिसाक्ष्य स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि उसने कुलविंदर सिंह को पशुशाला के अन्दर जोगिन्द्र सिंह पर गंडासी से हमला करते हुए देखा और इसके अग्रसरण में हरदीप कौर के शव को कमरे में पड़े हुए देखा।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किये कि हरदीप कौर के शरीर पर 14 और जोगिन्द्र कौर के शरीर पर 16 चोटें थी। इसीलिये वह संभाव्यतः एक व्यक्ति द्वारा कारित नहीं की जा सकती। अतः यह अभिकथित किया कि जोगिन्द्र कौर और हरदीप कौर पर हमला करने वाले एक से अधिक व्यक्ति थे।

11. यदि यह उपधारणा कर भी ली जाये कि मृतक पर हमला करने वाले एक से अधिक व्यक्ति थे, तो भी हमारा यह मत है कि अपीलकर्ता निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से एक था। अतः उक्त तर्क अपीलार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद किसी भी गवाहान की साक्ष्य व सामग्री से यह जाहिर नहीं होता है कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा पशुशाला में मृतक पर हमला किया गया था।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पहले हरदीप कौर के साथ बलात्कार व उसका उत्पीड़न करना चाहता था और जब हरदीप कौर द्वारा इसका प्रतिरोध किया गया तो उसने उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात् जब जोगेन्द्र कौर पशुशाला में आई, तो अपीलार्थी ने उसकी भी हत्या कर दी ताकि कोई गवाह न रहे।

13. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता से बार बार यह पूछा कि क्या सरबजीत सिंह को झूठा फसाने का कांेई उचित कारण था परन्तु वह ऐसा कोई भी उचित कारण नहीं बता सके। अतः सरबजीत सिंह की साक्ष्य जहां उसने यह अभिकथित किया कि उसने अपीलार्थी को जोगेन्द्र कौर पर हमला करते हुए देखा और हरदीप कौर को चोटों के साथ कमरे के फर्श पर पड़े हुए देखा, पर अविश्वास किये जाने का कोई औचित्य हमें प्रतीत नहीं होता। अपीलार्थी की निशादेही पर बरामद किये अंगुलि छाप, लॉकिट, हथियार और कपड़े भी उसके द्वारा किये गये अपराध की ओर संकेत करते हैं।

14. तथापि धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में अपीलार्थी की दोषसिद्धी को यथावत रखते हुए, हम अपीलार्थी की सजा का आजीवन कारावास में लघुकरण करते हैं, चूंकि हमें यह प्रतीत होता है कि अपराध आवेश में आकर किया गया और उक्त अपराध 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त अपील उपरोक्तवर्णित टिप्प्णीयों

के अनुसार निस्तारित की जाती है।

आपराधिक अपील संख्या 113/2006:

15. आपराधिक अपील संख्या 113/2006, आपराधिक अपील संख्या 116/2006 में किये गये उपरोक्त वर्णित निर्णय के अनुसार निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित की गयी

एस.के.एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रतिष्ठा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।